ब अदालत जनाब उप–मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमाः श्री साहिल काश्व पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव नालग, डाकघर बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती श्वेता पुत्री श्री बनवारी लाल, निवासी वार्ड नं0 2, पुराना कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री साहिल काश्व पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव नालग, डाकघर बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती श्वेता पुत्री श्री बनवारी लाल, निवासी वार्ड नं0 2, पुराना कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 02–03–2018 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 02–03–2018 को दर्ज करने बारा यदि कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24–08–2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री साहिल काश्व पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव नालग, डाकघर बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती श्वेता पुत्री श्री बनवारी लाल, निवासी वार्ड नं0 2, पुराना कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

————————